प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
डिग्री सेवा अनुभाग
इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बंधित राजकीय महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः डिग्री सेवा /3790-3955/2018-19 दिनांकः 05-06-2018

विषयः महाविद्यालय के शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में ।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, जो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अपना स्थानांतरण चाहते है, को आपके द्वारा ऑनलाइन **(www.hiedu.upsdc.gov.in)** आवेदन हेतु आपके स्तर से एक पासवर्ड दिया जाना है । यह पासवर्ड शिक्षक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गए मोबाइल नंबर को आपके द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में अंकित कर जेनेरेट किया जायेगा । ऑनलाइन प्रणाली हेतु आपको अपना पॉसवर्ड अपने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करना होगा । ऑनलाइन प्रणाली से आपके द्वारा जेनेरेट किये गए पासवर्ड की एक प्रति आपको शिक्षक को देनी है एवं एक प्रति आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है । **महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक का पासवर्ड सिर्फ एक बार ही जेनेरेट किया जा सकेगा एवं शिक्षक द्वारा सिर्फ एक ही बार आवेदन किया जा सकेगा**

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड सम्बंधित उच्च शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर लें एवं आवश्यक कार्यवाही ससमय पूर्ण करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

डॉ० (प्रीति गौतम)
निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
इलाहाबाद।

पृ०स०-डिग्री सेवा / 3790-3955 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालयों को उक्त सूचना से अवगत कराये ।

डॉ० (प्रीति गौतम)
निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र०,
इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के ऑन–लाइन स्थानांतरण साफ्टवेयर के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश –

1. ऑन–लाईन स्थानांतरण प्रणाली में आवेदन करने से पूर्व शिक्षक द्वारा शासनादेश संख्या–1030/सत्तर–5–2017–26/2017, दिनांक 24.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–1243/सत्तर–5–2018–75 (9)/2017, दिनांक 30.05.2018 द्वारा जारी स्थानान्तरण नियमावली का भली–भांति अध्ययन करते हुए स्थानांतरण हेतु जारी बुनियादी सिद्धातों के अन्तर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
2. आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10–06–2018 निर्धारित की गई है। प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि 11–06–2018 है।
3. स्थानान्तरण हेतु साफ्टवेयर www.hiedu.upsdc.gov.in पर दिनांक 05–06–2018 से उपलब्ध है।
4. आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के अन्तर्गत स्थानान्तरण चाहने वाले राजकीय महाविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर महाविद्यालय के प्राचार्य से एक पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इस पासवर्ड के माध्यम से ही आनलाइन प्रणाली से आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे।
5. विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में विषयवार उपलब्ध रिक्तियों की सूची dheup.com ,एवं www.hiedu.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। संबंधित शिक्षक उक्त रिक्तियों का भली–भांति अवलोकन करने के उपरान्त ही आनलाइन आवेदन पत्र भरें।
6. आनलाइन आवेदन प्रणाली में शिक्षक के विषय से संबंधित एवं उसके द्वारा वांछित जनपद एवं महाविद्यालय में संबंधित विषय में रिक्ति उपलब्ध होने पर ही आनलाइन आवेदन स्वीकार होगा।
7. सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई मोबाइल नम्बर एवं प्राचार्य से प्राप्त पासवर्ड अंकित कर सॉफ्टवेयर में संबंधित जानकारी भरी जा सकेगी।
8. सम्बन्धित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर साफ्टवेयर का प्रथम भाग स्वतः पूर्ण दिखेगा।
9. साफ्टवेयर के द्वितीय पार्ट में सम्बन्धित शिक्षक द्वारा वांछित (03) महाविद्यालयों का विकल्प अंकित करना होगा। साथ ही साथ शासन द्वारा निर्धारित अंक व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये विकल्पों का चयन करना होगा एवं अपनी वर्तमान रंगीन फोटो (जे0ई0पी0जी0 फारमेट साईज– 20 केबी0) अपलोड करनी होगी।
10. संबंधित प्रवक्ता को श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के महाविद्यालयों में कार्यरत रहने की अवधि भी अंकित करनी होगी। (यदि लागू हो)
11. सम्बन्धित प्रविष्टियों को शिक्षक द्वारा सत्यापन के उपरान्त Submit किया जायेगा, जिसके उपरान्त शिक्षक को एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी और यह आवेदन स्वतः महाविद्यालय के प्राचार्य के लॉगिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानांतरित हो जायेगा।
12. सम्बन्धित शिक्षक द्वारा अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट निकालकर हस्ताक्षर करते हुए सम्बन्धित संलग्नकों सहित(जो भी लागू हो) प्राचार्य को उपलब्ध कराना होगा। प्राचार्य को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों के आवेदन पत्रों को ऑन–लाइन सत्यापित करने हेतु लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराये गये हैं। यदि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किसी शिक्षक का आन लाइन स्थानान्तरण आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है, तो उस हेतु प्राचार्य को अपनी स्पष्ट संस्तुति ऑन–लाइन प्राणाली में दिये गये विकल्पों के कम में दर्ज करनी होगी।
13. प्राचार्य द्वारा सत्यापित समस्त ऑन–लाइन आवेदन शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध होंगे।

सहायक निदेशक (उ०शि०)
उच्च शिक्षा निदेशालय
उ०प्र०, इलाहाबाद

Scanned by CamScanner